



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 05/10-11/2021, दिनांक 20.05.2022

राज्य सेवा परीक्षा 2021 / राज्य वन सेवा परीक्षा 2021

जीवित रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता एवं

समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना

ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार अवधि दिनांक
23.05.2022 से 27.05.2022 तक

- 01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु "राज्य सेवा परीक्षा- 2021" का विज्ञापन क्रमांक 10/2022, दिनांक 22.12.2021 तथा "राज्य वन सेवा परीक्षा- 2021" का विज्ञापन क्रमांक 11/2022, दिनांक 22.12.2021 आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जारी किया गया था।
- 02 मध्यप्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 08.03.2022 के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है -
- (क) माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 08.03.2022 दिनांक के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
- (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी।
- 03 अतः ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तथा ऐसे जो मध्यप्रदेश के निवासी हैं दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः 05 दिवस के लिए प्रारम्भ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र www.mponline.gov.in, www.mppsc.mp.gov.in पर दिनांक 23.05.2022 से 27.05.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक भरे जा सकेंगे। समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य भी उक्त अवधि में ही संपादित किया जा सकेगा।
- 04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव